पंचदश बिहार विधान सभा

दशम् सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-04 बुधवार, दिनांक-31 जुलाई, 2013 ई० ।

मानीय अध्यक्ष, श्री उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सदन की बैठक प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.30 बजे पूर्वा० तक ।

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही भाजपा एवं राजद के मा० सदस्यगण अपनी-अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए और लगातार नारेबाजी करते रहे ।

आसन द्वारा अनेकों बार उनसे शांत रहने और अपनी सीट पर जाकर अपनी बात कहने का अनुरोध किया गया तथा यह भी आग्रह किया गया कि आप अपनी बात कहें वह आसन से जरूर सुनी जाएगी । परन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सदन की बैठक 2.00 बजे अप० तक के लिए स्थगित हुई ।

(भोजनावकाश के बाद)

समय 2.00 बजे अप० से 3.35 बजे अप० तक ।

[1] विधायी कार्य :- राजकीय विधेयक :-

बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) विधेयक, 2013 :-

मा० प्रभारी मंत्री, सांस्थिक वित्त श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

मा० सदस्य डॉ० अच्युतानन्द द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

मा० सदस्य श्री संजय सिंह 'टाइगर' द्वारा प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

मा० सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद द्वारा संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डश: विचार के क्रम में खंड-2 में 2 एवं खण्ड-3 में 1 संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुए और सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

मा० प्रभारी मंत्री, सांस्थिक वित्त श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । मा० नेता प्रतिपक्ष द्वारा पक्ष रखा गया । मा० प्रभारी मंत्री द्वारा पक्ष रखा गया तथा विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

[2] <u>कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन</u> :-

मा० नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकिशोर यादव द्वारा दिनांक 31.07.2013 को सम्पन्न कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत किया गया, जिसपर सदन की सहमति हुई ।

[3] <u>विधायी कार्य</u> :- <u>राजकीय विधेयक</u>

बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) विधेयक, 2013 :-

मा० प्रभारी मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

मा० सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डश: विचार के क्रम में खण्ड-2 में 4 एवं खण्ड-1 में 1 संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

मा० प्रभारी मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री रमई राम द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

[4] <u>निवेदन</u> :-

आसन द्वारा घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत-39 निवेदनों को सदन की सहमति से सम्बंधित विभागों को भेज दिए जाएँगे ।

तदुपरान्त सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 01.08.2013 के 9.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना

दिनांक-31.07.2013

फूल झा

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।